

निर्णय दि० 24/4/13

जमल शापत्र सं० ५९/ सामान्य
न्यायालय उपजिलाधिकारी जोनसह मुठनगर।
आदेश ०२/१२-१३ धारा- १९४

(12)
(42)

3
R
आमाउ

अभिप्राय की तह ६० - विचारणीय
शाह श्वेडा और अस्तमाका परगना जम्मा सम्मकहड नदमील
जानमठ जिला मुजफ्फरनगर की खेतों की १५१५-१५२० ई के खेतों की
खाना सख्या १० खाना सख्या ५^म, ९^म, १०, ११, १२, १५/३
०.३५४, ५.३६३ ०.५२२, ०.४९१, ०.३१८, ११.५५६
५२/१, ५५, कुल ८ किग्रे शकावा २५.५२३ हेक्टेयर लगान ३१९=२०
५.०५९, २.५७१
रूपे पर जागसिंह पुता अमर सिंह निवासी रामराज का नाम बतौर
सेकमणीप धर्मिधर सहस्रवोतदार के रूप में अंकित है।

उक्त कालाकार के सम्बन्ध में शाह वासिया से जानकारी करने
पर पता चला कि उक्त कालाकार रामराज या आसमास के गांव
में नहीं रहता है। और न ही कभी इस नाम का व्यक्ति उस
क्षेत्र में देखा गया है। उक्त व्यक्ति अपने नाम पर अंकित
कृषि धर्म में कृषि कार्य नहीं कर रहा है। उक्त व्यक्ति की
कृषि धर्म पर अन्य व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से कृषि कार्य
किया जा रहा है। और न ही इनका कोई धर्म है।

उपरोक्त धर्म के मूल कालाकार जागसिंह पुता अमर
सिंह निवासी रामराज का कोई धारा-५९ का पता नहीं है ऐसा प्रति
ज्ञा है कि उक्त नाम का कोई व्यक्ति है ही नहीं। और यह
धर्म लावारिस (wasteland) धर्म है। जानकारी प्राप्त हुई
है कि कुछ झमाफिया किल्ला के व्यक्ति द्वारा इस धर्म
के सम्बन्ध में कर्जी मुद्राणा नाम बना लिए गए हैं। और इस
धर्म को कर्जी व्यक्ति / झमाफिया के द्वारा किसी भी समग्र
अवैधानिक प्रयत्न विकल्प किया जा सकता है।

ऐसी दशा में उक्त धर्म को उ० प्र० ज० वि० स्व धर्म
व्यं अर्थात् १९५० की धारा १९४ के अन्तर्गत गांवें जमा राज्य सरकार
में निहित किया जागे अर्थात् प्रतीत होता है तथा उक्त धर्म के प्रय
विकल्प हस्तान्तरण बन्धक रखने या तत्काल अतिबन्ध लगाये जाने
हेतु आरक्षण सेवा में अर्पित।



3 महीने
स्त कलक

समस्त आरक्षण
संरक्षित बालक डोपे

०२/१२/१३ तहसीलदार
जानसठ
पेजगा २५/५/१३

15/4/2013

By Photocopy
Ed By
Education
16-4-14
17-4-14
18-4-14
16-5-14

3 महीने
20.0.13

सत्य प्रतिलिपि

रॉडर
उप निवासीकाने उप निवासी

15/4/2013

33. निम्नलिखित में से एक विषय चुनिए और इसका विवरण दीजिए -

नं. 24/13

दिनांक 07/12/13

सका 4, खुरतसिंह ग्राम - खेडा जं. अहममल
पाना - 2000 लग्ग - विमा 17

श्रीमानजी,

आप खेडा जं. अहममल पाना मुम्मा सम्बन्धित तहसील
जानक किका मुजफ्फरनगर की खतोनी 1415-1420F के खतोनी का
खण्ड 10 खमरा सख्या 55, 94, 10, 11, 12, 15/3, 42/1
45, 257, कुल 8 बिग 2कावा 25.523 हेम्टा लग्ग 319-2000 पर
खुरतसिंह पुत्र अमरसिंह निवासी रामराज का नाथ बंठोर मंजुमणीप
ग्रामिण सहायकदार के रूप में ओकित है।

उक्त कात्तकार के सम्बन्ध में आप वासियों से जानकारी के
पर पाता चला कि उक्त कात्तकार रामराज या आसपास के गांव
में नहीं रहता है और न ही कभी इस नाम का व्यक्ति इस
क्षेत्र में देखा गया है। उक्त व्यक्ति अपने नाम पर ओकित करी
क्षेत्र में कोई कार्य नहीं कर रहा है। उक्त व्यक्ति की कृषि
पर अन्य व्यक्ति द्वारा अर्द्धाधिकार के कार्य जारी है।
और न ही बनवा कोई वासि है।

उपरोक्त क्षत्री के मूल कात्तकार खुरतसिंह पुत्र अमरसिंह
निवासी रामराज का नाथ बंठोर आता - पाता नहीं है। ऐसा प्रतीत होता
है कि उक्त नाम का कोई व्यक्ति है ही नहीं। और यह ग्रामिणों से
(unclaimed) ग्रामि है जानकारी प्राप्त हुई है कि कुछ ग्रामिणों
विकास के व्यक्तियों द्वारा इस ग्राम के सम्बन्ध में फर्जी भुक्तारों
बना लिए गए हैं। और इस ग्राम को फर्जी व्यक्तियों/ग्रामिणों
द्वारा किसी भी समय अवैधानिक रूप विक्रय किया जा सकता
है।

ऐसी दशा में उक्त भूमि को उ.प्र. जं. वि. सं. सू. 0
व्य. अधि. 1950 की धारा 194 के अन्तर्गत गांव सभा/ग्राम सरकार
में निवेदन किया जाकर उचित प्रतीत होता है। तथा उक्त भूमि
के रूप/विक्रय, हस्तान्तरण बंधक रखने पर तत्काल प्रतिबन्ध
लगाए जाने हेतु आपका सेवा में प्रेषित।

प्रमाणित
07/12/13

33/12

महोदय

जिलाधिकारी/उप जिला मजिस्ट्रेट जलेश्वर

नोटिस, आ. के कारवाया लब्ध। लब्ध। लब्ध।

07/12/13

प्रतीन कुमार
डी.डी. 15/11/13
मीरापुर (जानसठ)

Typed By: Photocopy
Numbered By: 200
Date of Reception: 12-12-13
Date of Notice: 12-12-13
Date of Order: 12-12-13
Stamp: 24/12/13

सत्य प्रतिलिपि

रीडर
उप जिलाधिकारी/उप जिला मजिस्ट्रेट
जलेश्वर

शाम-खेडा गैर अहममाल पणना-2000

श्रीमानजी,
 शाम खेडा गैर अहममाल पणना कुम्मा सम्मतदेडा नदीकि
 जाणाह जिना मुजफ्फरगार की खोती-वर्ष 1415-1420 फ० के
 खोती खाता सम्पदा 10 खंसा सम्पदा $\frac{5}{0.358}$, $\frac{9}{4.363}$, $\frac{10}{0.522}$, $\frac{11}{0.891}$, $\frac{12}{0.318}$, $\frac{15}{11.456}$
 $\frac{42}{5.059}$, $\frac{45}{2.571}$ कुल 8 कित्त-रकबा 25.523 हेक्टेयर (लग्ग 319-20 रोपु)
 पर जालसिंह पुत्र चारासिंह निवासी रामराज का नाग बतोर
 सेकमणीए झमिंदार सदस्वतदार के रूप में अंकित है

उक्त कात्तकार के सम्बन्ध में शाम बाकिश से जानकारी करके
 पर पता चला कि उक्त कात्तकार रामराज या आसपास के गांव
 में नहीं रहता है। और न ही कहीं इस नाग का व्यापार इस क्षेत्र
 में देखा गया है। इसका व्योक्ति अपने नाग पर अंकित छवि
 की भी छवि कागज नहीं कर रहा है। उक्त व्योक्ति की छवि
 झमिं पर अन्य व्योक्तियों द्वारा अलग रूप से छवि कागज किए जा
 रहा है। और न ही इनका कोई पारिस है।

उपरोक्त झमिं के मूल कात्तकार जालसिंह पुत्र चारासिंह
 नि० रामराज का कोई आता-पता नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि
 उक्त नाम का कोई व्योक्ति है ही नहीं। और यह झमिं लांकारिस
 (unclaimed) झमिं है जानकारी प्राप्त हुई है कि कुछ झमिं
 विसर्ग के व्योक्तियों द्वारा इस झमिं के सम्बन्ध में कहीं मुख्यादनाम
 बना लिए गए हैं। और इस झमिं को कहीं व्योक्तियों/झमिं यादों
 द्वारा किसी भी समग्र अवैधानिक रूप विक्रय किए जा सकता है।

ऐसी दशा में उक्त झमिं को उ० प्र० व० वि० रूप में अ० व्य० अ०
 1950 की चारा 194 के अज्ञात गांव लम्बा/राज्य सरकार में निवेश
 किया जाना उचित प्रतीत होता है। तथा उक्त झमिं के रूप/विसर्ग
 हस्तान्तरण वन्दक रखे पर तत्काल प्रतिबन्ध लगाए जाने हेतु आस्था
 सेवा में प्रेषित।

24/1/2013
 15/1/2013

उपरोक्त
 24/1/2013
 लोकपाल आचार्य एवं सचिव निमित्त भेजा है।

राजस्व मन्त्रालय-राजस्व विभाग (राजस्व)
 प्रवीन कुमार
 प्र० राजस्व निरीक्षक
 मीरापुर (जानसठ)
 24/1/2013
 S.D.O. P.

सत्य प्रतिलिपि

रीडर
 उप जिलाधिकारी/उप जिला मजिस्ट्रेट
 जानसठ

Prepared By: [Signature]
 Date: 20/1/2013
 16-4-14
 12-4-14
 19-4-14
 19-4-14

नमको दिनांक दि 24/13

मोहाल उपजिलाधिकारी कार्यालय, जैनसिंह, क० नगर
कांडा नं० 6/12-13
सदर ५/1 गुर्नाम सिंह आदि

116

34

श्रीमान जी,
श्री गुरुदेव गुरु महाराज धर्मगुरु श्री गुरु महाराज (महाराज) महाराज

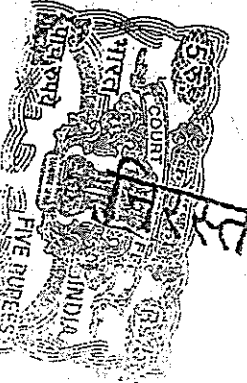
विका मुलाहारी की खतोनी वर्ष 1415-1420 के खतोनी खाता समस्त संख्या
3 खाता नम्बर 46¹ रकबा 14.75/1 हेक्टे. लगान 182-15 रुपये व रकबा सं०
6 खाता नम्बर 13/1, 14, 15/2, 46³ कुल क्षेत्र 4 रकबा 10.09 हेक्टे.
कागज 223.50 पर गुर्नाम सिंह पुत्र हरनाथ सिंह कि० रामराज का

नाम बतौर संक्रमणीय भूमी का सदर खतोनाम के रूप में अंशित है
उक्त कासाकार के सम्बन्ध में गांववासीयों से जानकारी

करने पर पता चला कि उक्त कासाकार रामराज या आसपास
के गांव में नहीं रहता है और न ही किसी इस नाम का व्यक्ति
इस क्षेत्र में देखा गया है। उक्त व्यक्ति अपने नाम पर अंशित भूमि
श्री में कृषि कार्य नहीं कर रहा है। उक्त व्यक्ति की खतोनी
पर अन्य व्यक्तियों द्वारा अशुद्ध रूप से कृषि कार्य किया जा
रहा है। और न ही इनका कोई वारिस है।

उपरोक्त श्री के मूल कासाकार गुर्नाम सिंह पुत्र हरनाथ
सिंह निवासी रामराज का कोई बाल-पता नहीं है। ऐसा प्रतीत
होता है कि उक्त नाम का कोई व्यक्ति है ही नहीं। और यह
भूमि लावारिस (unclaimed) भूमि है जानकारी प्राप्त हुई
है कि कुछ भूमिप्राप्ति विभाग के व्यक्तियों द्वारा इस भूमि के
सम्बन्ध में फर्जी सुव्यवस्थानों में बना लिए गए हैं और इस भूमि
को फर्जी व्यक्तियों द्वारा किसी भी समय अंशित
रूप वित्तिय भिन्न जा सकता है।

इसी दशा में उक्त भूमि को उपजिलाधिकारी 08 अप्रैल 1950 को चारा 194 के अन्तर्गत गांव संस्था/राज्य सरकार
में जोड़ित किया जाना उचित प्रतीत होता है। तथा उक्त भूमि
के रूप/विस्तार, दस्तावेज, वस्तुतः रखने पर तत्काल उचित
लगाव जाने हेतु आख्या सेवा में अर्पित।



38/12
श्रीमान
श्रीमान

जैनसिंह
24/4/13

मोहाल
लोहा नगर निगम द्वारा नं० 11/12/13 दिनांक 12/12/13
06/12-13
पेडागा
बाद दर्ज बाखिबर
24/4/13
S.D.O. (22)

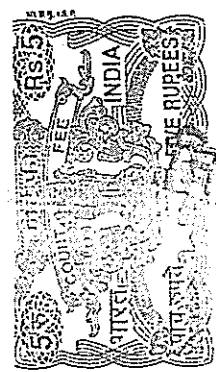
प्रवीण कुमार
प्र० राजस्व निरीक्षक
मोहाल (जानसत)

Copyed By...
Numbered By...
Words...
Date of Application... 16-4-14
Date of... 12-4-14
Date of... 11-4-14
Date of... 10-4-14

सत्य प्रतिलिपि

रोडर
उप जिलाधिकारी/उप जिला मस्टि
मोहाल
19.4.14

गुर्नाम



अतिरिक्त

न्यायाधीश
 जिला न्यायाधीश

24/11/13
 जिला न्यायाधीश

red By
 nated By
 of Location
 of Nature
 18-4-13
 17-4-14
 13-4-14
 10-4-14

श्रीमान जी,
 श्री खेडा गैर अहम परगना सुम्मा मन्नापहेडु तालुका
 जागाह जिला मुन्नार की खाती वर्ष 1415-1420 के खाती खाता
 सम्मा 3 खाता नम्बर 465 खाता 14751 इम्मेल्का 182-15 खाता नं.
 6 खाता नम्बर 1311, 14, 1512, 465 कुल मिला 4 खाता 18-09-13
 का 223-50 पर जसवन्त कोर की हरिसिंह किं. रामराव का को
 बगैर संक्रमणीय खाती संक्रमणार के रूप में अर्जित है।

उक्त कासाकार के सम्बन्ध में शाह कासिया से जानकारी करने
 पर पता चला कि उक्त कासाकार रामराव या आसपास के गांव
 में नहीं रहता है। और न ही कभी इस नाक का व्यक्ति इस क्षेत्र
 में देखा गया है उक्त व्यक्ति अपने नाक या ओर का कोई व्यक्ति
 पर अन्य व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से हथि को दिया जा
 रहा है। और न ही इनका कोई वास है।
 उपरोक्त श्री के मुक्त कासाकार जसवन्त कोर की
 हरिसिंह निवासी रामराव का कोई आता-पता नहीं है ऐसा प्रतीत
 होता है कि उक्त नाक का कोई व्यक्ति है ही नहीं। और यह
 भी आवारेस (waclaim) भी है जानकारी प्राप्त है कि
 कुछ भूमिका किस्म के व्यक्ति द्वारा इस भूमि के सम्बन्ध
 में फर्जी मुद्दा दर्ज कराया गया है और इस भूमि को फर्जी
 व्यक्ति द्वारा किसी भी समय अवैध रूप से
 विपणन किया जा सकता है।

इसी दशा में उक्त भूमि को उक्त जगह से खदे
 व्या. अधिन. 1950 की धारा 194 के अन्तर्गत गांव सेवा समिति
 में जोड़ कर विपणन किया जा सकता है। तब उक्त भूमि
 लगी जावे हेतु आस्था सेवा में प्रेषित

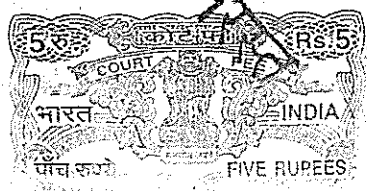
अतिरिक्त

15/11/2013
 04/12-13

प्रवीन कुमार
 प्रो राजरव निरिक्षक
 भीरापुर (जानसठ)

सत्य प्रतिलिपि

उप जिलाधिकारी/उप जिला मजिस्ट्रेट
 जानसठ



रिपोर्ट दि० 24/4/13

नमूल प्राप्ति सं० 492 सामान्य

मामालूम उपजिलाधिकारी जानसद कुनगर

बाद 03/12/13

सरकार % हरजीत सिंह

ग्राम - खेडगाँव (अहमद) पलना - भू० ६०
ला० १०० - विचारणीय

श्रीमान श्री
श्रीमान श्री अलामाल पराना मुम्मा मम्मादेडा तल्लिक
जानसद (वि०) मुजफ्फरनगर की खेती की व० 1415-1920 फु. के खेती
खाता सं. 3 खेती नम्बर 46⁵ खेती 14.751 हेरे लगान 182-15 रु.
व खाता सं. 6 खेती नम्बर 13/1 14 15/2 46⁵ कुल 4 खेती
खेती 10.099 हेरे लगान 223.50 पर हरजीत सिंह पुत्र ठाकुर सिंह
नि० शमराज का नाम बताते संसमर्पण शमराज सहायकार के रूप में
अंकित है।

इसका कामकाज के सम्बन्ध में शमराज के देवताकारी करने का
पता चला कि उक्त कामकाज शमराज या कामकाज के गोव में की रहता
है और जहाँ ही कामी इस काम का व्यक्त इस क्षेत्र में देखा गया है इस
व्यक्ति अपने नाम के व्यक्त की शक्ति में कार्य काम नहीं कर सकते हैं।
उक्त व्यक्त की कार्य शक्ति या अन्य व्यक्तियों द्वारा अल्पकाल के
कार्य का भी किया जा रहा है और जहाँ ही इनका कोई कार्य है।

उपरोक्त शक्ति का मूल कामकाज हरजीत सिंह पुत्र ठाकुर सिंह
कि० शमराज का करे आता-पता नहीं है ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त
काम का कोई व्यक्त है ही नहीं। और यह शक्ति धारक (धारक) का
व) शक्ति है जानकारी प्राप्त हुई है कि कुछ शमराज (शमराज के व्यक्तों
द्वारा इस शक्ति के सम्बन्ध में फुजी मुम्मादेडा नाम बना किने गये हैं।
और इस शक्ति के फुजी व्यक्तों / शमराज के द्वारा किसी भी
समय अवैधानिक रूप विचार्य किया जा सकता है।

इसी दशा में उक्त शक्ति को उपरोक्त व० सं. १००
आदि 1950 की चारा 194 के अन्तर्गत गाँव सन्ना राज्य सरकार में
निर्दिष्ट किया जाना इच्छित होता है। तथा उक्त शक्ति के
रूप/विषय, होता रहता वन्धक रखने या तत्काल प्रतिक्रिया
लगाए जाने हेतु आस्था सेवा में पेशित।

अहमद
तल्लिक नाम के
हस्ताक्षर सहित पेशित है।

15/7/2013

34/PC

अहमद

श्री ० कि० कामा देव 1/1

श्री ० कामा देव

Photo

श्री ० कामा देव

15/11/13

प्रवीन कुमार
प्र० राजस्व निरीक्षक
भीरपुर (जानसद)

03/12-13

पत्रिका
बा० ६०
अहमद

15/4/13
S.D.O.

Copy By...
Compared By...
Words...
Date of Application...
Date of Notice...
Date of...
Date of...

सत्य प्रतिलिपि

रिडर
उप जिलाधिकारी/उप जिला मजिस्ट्रेट
जानसद
19-4-13